अत्यावश्यक

पत्रांक–1प्रा0आ0–13 / 2016..... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषय– **बाढ़ पीड़ितों के द्वारा आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे सड़कों, बांधों एवं अन्य ऐसे स्थलों को राहत शिविर की मान्यता देते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल प्लावित गाँवों / टोलों / मुहल्लों से सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें राहत शिविरों में रखने एवं बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित नार्म्स के अनुसार राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में विस्तृत निदेश दिया गया है।

2. इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में आयी बाढ़ के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के संबंध में यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि बाढ़ से प्रभावित कई लोग प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविरों में न जाकर किसी सड़क, बांध अथवा अन्य सूखे स्थलों पर शरण लिये हुए हैं।

3. दिनांक–21.08.2016 को गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा नदी किनारे अवस्थित विभिन्न जिलों में आये बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षात्मक बैठक में यह निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रभावितों द्वारा आश्रय स्थल के रूप में इस्तेमाल किये जा रहे सड़कों, बांधों एवं अन्य स्थलों को भी राहत शिविर के रूप में मान्यता दी जाए एवं बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया में उल्लेखित नार्म्स के अनुरूप नियमानुसार उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
पटना–15, दिनांक–

ज्ञापांक ..... / आ0प्र0,

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3145 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 23/8/16.

प्रतिलिपि– सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23/8
प्रधान सचिव